

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/11

दिनांक: 28.12.2021

सेवा में,  
श्री राजेंद्र कुमार तिवारी  
ग्राम व पोस्ट –अमौर  
जिला-कानपुर  
पिन 209401  
मो० 9005 494 154

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 06.12.2021 के संबंध में**

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 06.12.2021 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
<p>765 के०वी०वाराणसी रनियां पारेषण लाइन के टावर संख्या 781 में OPGW स्थापित करने के दौरान फसल क्षति आंकलन के सम्बन्ध में –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>हमारी तैयार फसल जाफरी, गेंदा नारंग, बिजली व गुलमेहंदी की फसल थी।</li> <li>जिसमें कार्य के दौरान 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की फसल क्षति ग्रस्त की गई थी।</li> <li>जिसमें उक्त फसल की क्षति ग्रस्त का मात्र रु०16000 का मुआवजा दिनांक 18.03.2021 से लगभग 7 माह बाद दिया गया है जबकि सारी औपचारिकतायें पूरी थी।</li> </ol>	<p>उक्त मुआवजा आवश्यक औपचारिकतायें जैसे कि राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व के सत्यापन, कृषि उत्पादन समिति से गेंदे की फसल का मूल्य प्राप्त करने तथा बैंकों के विलय के फलस्वरूप नये IFSC कोड की उपलब्धता पूरा करने के तत्काल पश्चात प्रदान कर दिया गया है।</p>

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री आर० नागपाल  
कार्यपालक निदेशक,  
पावरग्रिड उ०क्ष० – 3  
12 राणा प्रताप मार्ग,  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

*(हस्ताक्षर)*  
28/12/21

[राणा प्रताप]  
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ